कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक : 1051 दिनांक : 2/8/2022

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
अजमेर,
राजस्थान।

विषय :– अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District -Ajmer (Raj.).

संदर्भः– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 14 ( ) एफसीए/उवसं/2018–19/9516 दिनांक 12.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/RJ/ROAD/33605/2018

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोवता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

उप वन संरक्षक, अजमेर
आमद
संख्या
दिनांक......

2/8/22

Scanned with CamScanner

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमे प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एव भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या मे वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 2,30,000/– रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से दिनांक 11.09.2019 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12–2/2010– CAMPA दिनांक 09.06.2016 मे दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 3,70,592/– रुपये दिनांक 11.09.2019 को ई–चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरें में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रवोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रवोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Scanned with CamScanner

14.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
रु. 100
सत्यमेव जयते
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
राजस्थान RAJASTHAN
BH 693170

शपथ–पत्र

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

मनके अनिल खींची शपथपूर्वक बयान करता हूॅं कि –

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सा.नि.वि., अजमेर, राजस्थान का ॲटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

लगातार...2

Scanned with CamScanner

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

10. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

11. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

13. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिकर

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: - 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमाक :– दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :– दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :– दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: - 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :– दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–6 का वचन बद्दता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :–   दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

दिनांक :–

क्रमांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो वढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :– दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., जिला खण्ड, अजमेर

क्रमांक :–   दिनांक :–

Project Name: - Diversion of 0.592 hectare Forest Land for Construction of Missing link road between Boraj to Existing Chamunda Road, Km 0/0 to 1/800 Km in Tehsil & District –Ajmer (Raj.).

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/33605/2018

Applied Area: – 0.592 Ha

<u>सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (62) वन / 2018 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Anil Khichi)
Executive Engineer
Public Works Department
Division-Ajmer (Raj.)

Scanned with CamScanner

चेक जारी होने के दिनांक से 30 दिन तक वैध।
VALID FOR 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

राजस्थान सरकार GOVERNMENT OF RAJASTHAN
कोषाधिकारी,अजमेर TREASURY OFFICER, AJMER

DATE 13/08/2019

को या आदेशानुसार OR ORDER

PAY TO XEN.P.W.D.DIST.DIV.AJMER

रुपये RUPEES Six Lakh Five Hundred and Ninety Tw Rupees अदा करें। रु.Rs. 600,592.00

Token No: madhu /19273 BH: 5054 DDO 4618

भारतीय स्टेट बैंक & Dt 10236:08/08/2019 N 011416

मुख्य शाखा, अजमेर
STATE BANK OF INDIA
MAIN BRANCH, AJMER
SBI MAIN BRANCH AJMER, SBI AJMER

रुपये से कम UNDER RS. 600593/-

26/08/19
कोषाधिकारी
TREASURY OFFICER

RJ/17

⑈011416⑈

Please Deposit the cheque Rajasthan Camp9. As Per Chalan Detail

(मनोज कुमार जैन)
अधिशाषी अभियन्ता
सा. नि. वि. जिला खण्ड
अजमेर

Scanned with CamScan

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-09-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6133605690
MoEF/SG File No.	F.1(62)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address.	Executive Engineer, Public Works Department (PWD)Ajmer
Amount(in Rs)	600592/-

Amount in Words Six Lakh Five Hundred and Ninety-Two Rupees Only

(मनोज कुमार जैन) अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. जिला खण्ड अजमेर

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856133605690
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-09-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6133605690
MoEF/SG File No.	F.1(62)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address:	Executive Engineer, Public Works Department (PWD) Ajmer
Amount(in Rs)	600592/-

Amount In Words :Six Lakh Five Hundred and Ninety-Two Rupees Only

(मनोज कुमार जैन) अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. जिला खण्ड अजमेर

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856133605690
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

98556-5
11-9-019

Scanned with CamScan

Goverment Of Rajasthan

Department Of Information & Public Relations

Secretariat Campus, Jaipur - 302005

Web Site - www.dipr.rajasthan.gov.in

Date: 26/12/2018

R.O.No: DIPR/C/14601/2018

To:
X.EN
., AJMER, DISTRICT DIVISION
(PUBLIC WORKS DEPARTMENT)
(AJMER)

Remark: CONFIRMATION

Sub : Information copy of CLASSIFIED **Advertisement**

Reference : Your letter No 6186 **Dated** 24/12/2018

S.No	Name Of NewsPaper	Edition	Advt. Size	Space in		Rate	Amount(Rs.)
				PCCm	Sq.cm.		
1	NAVJYOTI	AJMER	22 x 2	0.0	176	57.63	10142.88
2	THE TIMES OF INDIA	JAIPUR (ENGLISH)	22 x 2	0.0	176	37.92	6673.92

Yours
Assistant Director
Department Of Information & Public Relations
Rajasthan, Jaipur

Note:-

1. Payment will be made on basis of PER SQUARE CENTIMETER/PCCm. as directed by DIPR
   Please make the payment after receipt of certified copy of the rate order DAVP/DIPR.
2. For all correspondence, please mention the above cited DIPR Release Order No.
3. Please send the detail slip of the tender submitted.
4. Please send the tender details in PDF format in CD.
5. GST will be charged extra as per government norms.

Scanned with CamScan

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर।

आम सूचना

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक:-प 1(62)वन/2019 जयपुर दिनांक 05.10.2018

विषय:- Diversion of 0.592 Ha. Of Forest Land In Favour of Executive Engineer Public Works Department Ajmer for Construction of missing link road between village Boraj to existion Chamunda mata road in Ajmer district, Rajasthan

सन्दर्भ:- ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FR/RJ/ROAD/33605/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव से अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में जिला अजमेर में ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सड़क निर्माण हेतु .0592 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.नं.11-9/98-एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.592 Ha. Of Forest Land in Favour of Executive Engineer Public Works Department Ajmer for Construction of missing link road between village Boraj to existion Chamunda mata road in Ajmer district, Rajasthan की बिना वृक्षों के पातन सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ऐ. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-7/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित है-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यू टी आर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाऐ, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ आर ए प्रमाण पत्र जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन पी वी की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
ह.
5/X/18
(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

DIPR/C/14601/2018

Jal Sansthan,

24 months

ublished in

Engineer (FIU)

RT CORPORATION
inagar, Bengaluru-560 027.
23424

: 02-01-2019

ugh e-procurement portal
following.

Tender Value in Lakhs Rs. (Approx)	Last date for submission of tender @ 17.00 Hrs
725.00	05-03-2019
75.00	05-02-2019
95.00	05-02-2019
42.00	05-02-2019
5.00	05-02-2019
8000.00	12-03-2019
180.00	22-02-2019
380.00	05-03-2019
195.00	05-02-2019
1800.00	05-03-2019
95.00	21-01-2019
600.00	18-01-2019
435.00	05-02-2019

dt: 08-11-2018 of Facility ntre Services has been

9 for Supply, installation submission of tender is

r of events, specification, hed through e-portal only. ent portal. For further ther assistance, contact). Interested suppliers submission. Mail to ed.

Sd/-
f Stores & Purchases
nviting Authority)

---

questioning despite repeated summons issued to him. It said that Arora's questioning is essential as he is the key person in the case since he is aware of the overseas undeclared assets of Vadra and was instrumental in arranging funds for such properties. "Bhandari was not the actual owner of the (London) property but it was beneficially owned by Vadra who was incurring expenditure on the renovation of this property," ED maintained.

Coalition not important in UP: Cong leader Punia

▶ Continued from P 1

While Mayawati and Akhilesh Yadav have been in talks about the alliance, its contours are still not clear given that there are many smaller players including Congress which are eager to be part of the proposed combine.

Congress stress on "public mood" stems from its victory over BJP in recent assembly polls in MP, Chhattisgarh and Rajasthan, a performance that has given it a leg up ahead of 2019 polls. Congress leaders believe that the opposition parties cannot ignore the public sentiment if they want to emerge as genuine challengers to BJP.

However, senior Congress leader P L Punia said, "A coalition is not important... Our workers are ready... We have not spoken to anyone about an alliance."

An AICC office-bearer from UP claimed much would change between now and the notification for national polls which, he said, would free SP and BSP from the fear of "vendetta" at the hands of BJP which controls the central government as well as Lucknow. There is a push within Congress that it should contest in partnership with SP renegade Shivpal Yadav, who has formed his own party. However, the downside of such a move is that it would rile Akhilesh Yadav and could complicate the post-poll talks.

Scanned with CamScan

राज्यपाल आनंदीबेन ने देखी जसवंत थड़ा की स्थापत्य कला

राज्यपाल से मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की मुलाकात

...पुर। राज्यपाल कल्याण सिंह से शुक्रवार को राजभवन में मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की...

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला-खण्ड, अजमेर।

आम सूचना

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प 1 (62) वन/2019 जयपुर दिनांक 05.10.2018

विषय : Diversion of 0.592 Ha. of Forest Land in Favour of Executive Engineer Public Works Department Ajmer for Construction of missing link road between village Boraj to existior Chamunda mata road in Ajmer district, Rajasthan

संदर्भ : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FR/RJ/ROAD/33605/2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव से अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में जिला अजमेर में ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सड़क निर्माण हेतु .0592 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 11-9/98-एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.9.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.592 Ha. of Forest Land in Favour of Executive Engineer Public Works Department Ajmer for Construction of missing link road between village Boraj to existion Chamunda mata road in Ajmer district, Rajasthan की बिना वृक्षों के पातन सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आसपास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आसपास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ऐ. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-7/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यू टी आर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ आर ए प्रमाण पत्र जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन पी वी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2010 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

ह.

8/X/18

(योगेन्द्र कुमार दक)

शासन सचिव

DIPR-C/14601/18 A/o

प्रतिशत तथा पाली के जैतारण... समिति के वार्ड चार में 46... मतदान हुआ। इन पदों पर म... बाद अब 30 को मतगणना...

वामिनी गौ माता क... अन्तिम विदाई

मकराना-बोरावड़। ... गौ पर्यावरण एवं आध्यात्म... यात्रा के दौरान गौसन्त डॉ... गोपाल महाराज के साथ... अनन्त गौकृपा की वर्षा क... भगवती स्वरूपा वामिनी गौ... शुक्रवार को मकराना उपख... पंचायत मुख्यालय खार... गौशाला में देवलोकगमन हो... गौमाता की अंतिम यात्रा में... जगदीश गोपाल महाराज... पर्यावरण एवं आध्यात्म चेत... के दौरान गांव-गांव में गौ... का प्रसाद बिखेरती इनकी... व हजारों ग्रामीणों ने नम... साथ शामिल होकर वा... को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि... हिन्दू गौरक्षा सेवा समिति... अध्यक्ष सुरेश कुमार कुमा... कि वामिनी गौ माता के दे... के बाद खारड़िया ग्राम में ड... यात्रा विशाल धार्मिक जु... निकाली गई।

सेनेटरी पैड के प्रति जागरुकता का अभाव

जयपुर। महिलाओं विशेषकर युवतियों में मासिक धर्म स्वच्छता निषेध से निपटने एवं जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नाइन सैनिटरी नैपकिन की सीईओ ऋचा सिंह ने बताया कि देश में सेनेटरी नैपकिन्स के बारे में जागरूकता का नितांत अभाव है। राजस्थान में तो और भी बुरी स्थिति है।

10.08 लाख	2 माह	अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. नगर खंड, अजमेर	PWD1819WSOB 16530
65.00 लाख	3 माह	अधिशाषी अभियंता सा. नि. वि. नगर खंड, अजमेर।	PWD1819WSOB 16536

...p. rajasthan. gov.in तथा http://sssp. raj. nic.in पर देखा जा सकता है।

...वेब साईट http://eproc. rajasthan. gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

(अशोक रंगनानी)

अधिशाषी अभियंता,

सा.नि.वि., नगर खण्ड, अजमेर

...चायत खारड़िया, पं.स. नावां

दिनांक 29.12.2018

...ट्टा आपत्तिकरण की सूचना बाबत

...भूमि से स्थित निम्नलिखित प्रार्थियो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होवे तो ग्राम... करें।

...त क्षेत्रफल
93.33
22.00
45.00
38.00
22.62
39.11
07.33
80.5
16.00
16.00
00.00
60.00
33.33
01.11
33.33
22.00
31.33
91.66
66.67
93.88
41.77
9.63
-
24.04
52.00
04.00
95.88
12.22
45.79
94.00
19.88
32.22
7.91
2.77
4.44

क्रमांक	नाम मय पिता / पति	ग्राम	वर्गगज क्षेत्रफल
36	रणजीतसिंह / सवाईसिंह	गुढारजावता	146.66
37	सुरेशसिंह/स्वरूप सिंह	..."...	191.11
38	....	..."...	160.00
39	सरोज कंवर पत्नी महावीरसिंह	बवलीगुढ़ा	230.00
40	मालसिंह /दीपसिंह	..."...	200.44
41	वन्दाराम /बकताराम	उलाणा	289.11
42	मूलचंद /छीतरराम	..."...	186.33
43	पालूराम /रामकरण	..."...	303.33
44	मोहनी /जैसाराम	..."...	320.00
45	लच्छी देवी/मालाराम	..."...	42.67
46	राजूराम /छीतरराम	..."...	224.33
47	सम्पतसिंह/श्योजी सिंह	..."...	284.67
48	बजरंग सिंह/बतरसिंह	..."...	272.22
49	अजित सिंह/मुकन सिंह	..."...	-
50	प्रभु सिंह/मुकन सिंह	..."...	-
51	भंवरसिंह/मुकन सिंह	..."...	-
52	प्रकाश कंवर/जगमाल सिंह	..."...	-
53	चुकली देवी/रतनलाल	......	254.00
53.	गणेशराम/आनन्दराम	खारडिया	90.72
54.	मदनलाल/गणेशराम	..."...	92.27
55	रघुवीरसिंह वगैरह/भंवरसिंह	..."...	257.22
56 /	अजीतसिंह/मूलसिंह	..."...	221.94
57	गट्टूडी देवी / पूसाराम	..."...	251.07
58	गोपालराम/किशनलाल	..."...	77.97
59	मुकेश कुमार/किशनलाल	..."...	97.51
60	गोविन्दसिंह/गणेशसिंह	..."...	240.83
61	भरतसिंह/मनोज सिंह	उलाणा	289.86
62	हीराराम/मोतीराम	खारड़िया	-
63	किरण कंवर/मनोहरसिंह	..."...	-
64	गोपालराम/किशनलाल	..."...	
65	मूलसिंह/मालसिंह	उलाणा	286.67
66	दयालसिंह/मालसिंह	..."...	65.78

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खारड़िया
पं.स. नावां (नागौर)

सरपंच
ग्राम पंचायत खारड़िया
पं.स. नावां (नागौर)

Scanned with CamScanner

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 2429 Dated 14/9/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.6050 **Hectare** of forest land in Gram and Gram panchayat Hathikhera forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Exen. P,W,D, District Div.Ajmer for Construction of Gram Boraj to Chamunda C C Road falls within jurisdiction of Hathikhera villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.6050 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1** to 20 **annexure**.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above

(Arti Dogra)
District Collector
Ajmer

<u>कार्यालय जिला परिषद,अजमेर</u>

क्रमांक : जिपअ / वन अधिकार / 2018 / 2430 दिनांक: 14/9/18

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 का कार्यवाही विवरण :–

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :–

<u>प्रस्ताव संख्या एक</u> :– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति / समुदाय उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,जिला खण्ड अजमेर द्वारा ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु चाहा गया F.R.A. CERTIFICATE जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,अजमेर	उप वन संरक्षक अजमेर	जिला कलक्टर अजमेर
तहसीलदार अजमेर	उपखण्ड अधिकारी अजमेर	अधि.अभियंता, सार्व.निर्माण विभाग,जि.ख.अजमेर

सदस्यगण :– सरोज मेघवाल

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 07.09.2018

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :—

क.स.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	सुश्री आरती डोगरा	जिला कलक्टर अजमेर	[signature]
2	श्री अजय चित्तोडा	उप वन संरक्षक,अजमेर	[signature]
3	श्री अरूण गर्ग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर	[signature]
5	श्रीमती अन्जली राजोरिया	उपखण्ड अधिकारी,अजमेर	[signature]
6		तहसीलदार,अजमेर	
7-	श्री याद्राम सिंह	अधि. अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड,अजमेर	[signature]
8	श्री शिवराज भील	जिला परिषद,सदस्य	[signature]
9	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद,सदस्य	सरोज मेघवाल
10.	ओमप्रकाश सोनी	तहसीलदार अजमेर	[signature]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/18/ 3920 दिनांक : 31/8/18

निमित्त :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

ıın
4/9/18

विषय :- एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.6050 हैक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी करने जिसके संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की कियान्विति के संबंध में उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2018 को आयोजित की गई। अतः इस पत्र के संलग्न वांछित बैठक कार्यवाही विवरण की छाया प्रति मय प्रमाण पत्र के श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/18/ 3921 दिनांक : 31/8/18

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर को उपरोक्तानुसार बैठक कार्यवाही विवरण मय प्रमाण पत्र प्रति के सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण–पत्र

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के क्रम में दिनांक 31.08.2018 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार संबंधी बैठक की अनुशंषा, ग्राम पंचायत हाथीखेडा की ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.08.2018 की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28.08.2018 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.6050 हैक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनूसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नही रखता/प्रभावित नही होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 31.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कक्ष में मध्यान्ह 4.30 बजे श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के क्रम में ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.5050 हैक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट चाहा गया है।

अतः प्रस्तावित वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनूसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्रीमति अन्जली राजोरिया उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	[signature]
2	तहसीलदार अजमेर	[signature]
4	विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर नसरत खान	[signature] PEO
5	क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर	[signature]
6	श्री राजकुमार सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	राजकुमार
7	श्री शंकर सिंह रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	[signature]
8	सीमा रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	Seema Rawat
9	अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि जिला खण्ड अजमेर	[signature]
10	मे0 [illegible] सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	[signature]

आज इस बैठक में सर्वसम्मति से ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई दावा /आपत्ति पेश नही हुए है और तहसील क्षेत्र अजमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नही होने से उक्त कार्य बाबत बैठक कार्यवाही विवरण एवं वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

ार्यालय ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पंचायत समिति श्रीनगर, जिला- अजमेर (राज.)

ग्राप. /हाथीखेड़ा/2018/216 दिनांक 06/09/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्रामसभा बैठक दिनांक 06/09/2018 के प्रस्ताव संख्या 3 के निर्णय अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में FRA सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत ग्राम बोराज ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अत: इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

ललिता

सरपंच

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पंचायत समिति श्रीनगर, जिला- अजमेर (राज.)

ग्रा.प.हा./2018/215

दिनांक 06/09/18

प्रस्ताव प्रति

ग्राम सभा बैठक दिनांक 06/09/18 प्रस्ताव संख्या-3

वन अधिकार समिति बोरास की बैठक दिनांक 05/09/18 के प्रस्ताव संख्या-02 पर लिये गये। निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया की ग्राम बोरास से चामुण्डा तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ती प्रदान करने हेतु चर्चा की गई चर्चाअनुसार उपरोक्त भूमी पर अनुसूचित जाती, जनजाती व अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति अथवा समुदाय निवास नही करता है। अतः एवं ग्राम सभा द्वारा अनापत्ती प्रदान करने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

हतिया
सरपंच
ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

वन अधिकार समिति ग्राम बोराज ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं०स० श्रीनगर (अजमेर)

क्रमांक /2018/ 1 दिनांक :- 5/9/2018.

आज बैठक दिनांक 5.9.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव संख्या 02 के तहत प्रस्तावित कार्य ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सड़क निर्माण हेतु वन क्षेत्र की भूमि के सम्बंध में ग्राम बोराज ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संबंधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत उल्लेखित आवश्यकता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है।

अत: इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम–बोराज
ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

Date
Page (1)

बैठक कार्यवाही

(वन अधिकार समिति ग्राम बोराज काजीपुरा ग्रा. पं. हाथीखेड़ा

स्थान : हथाई चौक बोराज   समय : दोपहर 2 pm

आज दिनांक 05/09/18 को ग्राम बोराज, ग्राम पं. हाथीखेड़ा पं. समिति श्रीनगर तह. व जिला अजमेर में गांव के हथाई चौक पर, दिनांक 15/08/18 के ग्राम सभा प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा गठित ग्राम बोराज काजीपुरा की वन अधिकार समिति की बैठक ग्राम वासियों के समक्ष अध्यक्ष श्री जयसिंह जी रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

प्रस्ताव संख्या 1 :- सर्वप्रथम वन अधिकार समिति के गठन की आवश्यकता के बारे में ग्राम वासियों को अवगत करवाया गया। एवं इसकी महत्वता के बारे में चर्चा की गई। गठित वन अधिकार समिति के निम्न सदस्यों से ग्राम वासियों को परिचित करवाया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मो. नं.
1.	जय सिंह जी रावत	अध्यक्ष	9251058196
2.	महेन्द्र सिंह रावत	उपाध्यक्ष	
3.	गोविन्द सिंह	सचिव	9799105138
4.	सुखदेव भाट	सदस्य	
5.	मदन सिंह	सदस्य	9929452520
6.	गुमान सिंह	सदस्य	9928369977
7.	मान सिंह	सदस्य	
8.	गुलाब सिंह	सदस्य	9413039518
9.	नानू सिंह	सदस्य	9828675033
10.	राम सिंह	सदस्य	
11.	शैतान सिंह	सदस्य	

हतिया
सरपंच
ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

उपरोक्त गठित कमेटी का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तथा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :- गठित कमेटी एवं उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि हमारे गांव

Date
Page 2

के वन क्षेत्र में कोई अनुसूचित जाती, एवं जनजाति या घुमक्कड़ परिवार या परम्परागत वन निवासी निवास नही करते है। प्रस्ताव सर्वसम्मती से स्वीकार किया गया। ग्राम बोराज काजीपुरा ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में प्रस्तावित कार्य ग्राम बोराज से रामपुरा तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु वन भूमी के सम्बन्ध में अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव समिति द्वारा सर्वसम्मती से पारित किया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष (9929031636)

मानसिंह

गुलाबसिंह
9413039518

रामसिंह

मदनसिंह

शैतान

काजीपुरा सलमा बानो

काजीपुरा सदा कंवर

हेमलता राठौड़
बोराज

(9828626730)

सुमित्रा रावत
काजीपुरा

9660767494

रंजिता राठौड़
बोराज IV
प्रीति राठौड़
चामुण्डा
सैनी काजीपुरा I
चन्द्रवती काजीपुरा V
मीनाक्षी ~~[illegible]~~ बोराज IV
चौहान

अंबिका कॉलोनी
कार्यकर्ता — उजमा

बोराज II
कार्यकर्ता = रेखा शर्मा
सहायिका = लाली
आशा सह = सुमित्रा रावत

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

Date ______
Page ______

ग्राम सभा दिनांक 06/09/18

आज दिनांक 06/09/18 को कार्यालय विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पं. स. श्रीनगर के पत्र क्रमांक /म.रा. दिनांक 24/08/18 की पालना में ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के अटल सेवा केन्द्र पर अध्यक्ष श्रीमती मनिषा कार की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न प्रकार अधिकारी, कर्मचारी, जन प्रतिनिधी एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी / जन प्रतिनिधि	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमति मनिषा कार	सरपंच	मनिषा सरपंच ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा पं.स. श्रीनगर (अजमेर)
2	अनिल कुमार अग्रवाल	ग्रा. वि. अधि.	[signature]
3	सज्जनसिंह रावत	V.R.S	[signature]
4	सद्दाम हुसैन	ग्राम संसाधन व्यक्ति	Saddam
5	मोइनुद्दीन रंगरेज	मोइनुद्दीन रंगरेज	[signature]
6	अमित कुमार चंद	ग्राम संसाधन	[signature]
7	मुकुट खोरवाल	ग्राम संसाधन	मुकुट खोरवाल
8	कमल किशोर	ग्राम संसाधन	Kamal
9	शिवाजी खारवाल	ग्राम संसाधन	Shivaji Kharwal
10	श्याम सिंह चौहान	पटवारी कोटड़ा	[signature]
-	जयसिंह रावत	अध्यक्ष	जयसिंह रावत
	महेन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष	महेन्द्र सिंह
	गुलाबसिंह	सदस्य	गुलाबसिंह
	[signature] (गोविन्दसिंह		[signature]
	सुरजन		सुरजन
	भानुसिंह रावत		भानुसिंह रावत
	शैतान		
	गुमानसिंह		गुमान सिंह

दिनांक 06/09/18

Date ____
Page ____

मदनसिंह		
मानसिंह		
संजू भोलावत	लोकेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]
लक्ष्मी रावत	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	लक्ष्मी रावत
	[illegible]	
Bhagat Singh		
	कमला	
[illegible] L.S	रावत	

गुमानसिंह [illegible]

मानसिंह [illegible]

[illegible]

सोहनसिंह Ajay Singh [illegible] सिंह

[illegible]

[illegible]

दिनांक 6/09/18

आशा
पिंकू
सुनिता
सुरजा
गीता
किरण
शिमला

सुनिता
रेखा
शिवराजसिंह
आरती
संगीता

सविता
रेखा

बोराळ — कार्यकर्ता
हेमलता राठौड़
आशा (रंजना)
सहायिका (मिनाक्षी)
चामुण्डा कॉलोनी — प्रीति राठौड़
काजीपुरा आशा सहयोगिनी — सलमा बानो

दिनांक 06/09/18

सुमित्रा रावत
कार्यकर्त्री काजीपुरा I

चन्द्रवती
सहायिका काजीपुरा V

[illegible]
सहायिका काजीपुरा I

सदा कँवर
आशा सह० काजीपुरा V

गीता शर्मा
काजीपुरा V

अंजना रावत
हाथीखेड़ा

विमला रावत ग्रामसाथिन

जान्हा परिहार (आशा) लीला

रेखा गवारिया नौरत्न III

कल्पना रावत
आशा सह०
हाथीखेड़ा III

बीना पँवार ANM ललिता रेगर

आं.बा रेखा शर्मा
कार्यकर्ता बोराज II

भगवान

अंबिका कौशिक
उजमा

सुरक्षा

[signature]

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

दिनांक 06/09/18

आज दिनांक 06/09/18 को कार्यालय विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पं. स. श्रीनगर के पत्र क्रमांक 1753 दिनांक 25/08/18 की पालना में ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्राम सभा का विवरण ग्राम सभा में गणपूर्ति उपरान्त सरपंच श्रीमती प्रतिभा भाट के निर्देशानुसार ग्राम वासियों के बताये अनुसार निम्न प्रकार प्रस्ताव अंकन किए गये।

प्रस्ताव संख्या 1. समक्ष ग्रामवासियों के ग्राम सभा की गत बैठक कार्यवाही विवरण पढ़कर सुनाया गया। गत ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों एवं प्रस्तावों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर ग्राम सभा में चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मती से गत बैठक कार्यवाही का अनुमोदन एवं पुष्टी की गई।

प्रस्ताव संख्या 2:- समक्ष कोरम (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत स्तरीय राजकीय कार्मिकों के कार्यों एवं व्यवहारों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत राजकीय कार्मिक अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर रहे है सर्व सम्मती से यह माना गया।

प्रस्ताव संख्या 3:- वन अधिकार समिति बोराज की बैठक दिनांक 05/09/18 के प्रस्ताव संख्या 02 पर लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया की ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ती प्रदान करने के हेतु चर्चा की गई। उपरान्त भूमी पर अनुसूचित जाती व जनजाती व अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति अथवा समुदाय निवास नहीं करता है अतएव ग्राम सभा द्वारा अनापत्ती प्रदान करने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

प्रतिभा
सरपंच